

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

***(Annual Report on the Activities of the Council during 2022-2023)
(1st April, 2022 to 31th March, 2023)***

The Pharmacy Council of India (PCI) is a body constituted under Section 3 of the Pharmacy Act, 1948 to regulate the profession and practice of Pharmacy. The Central Council consists of the following members, namely:-

- a) six members, among whom there shall be at least one teacher of each of the subjects, pharmaceutical chemistry, pharmacy, pharmacology and pharmacognosy elected by the University Grants Commission from among persons on the teaching staff of an Indian University or a college affiliated thereto which grants a degree or diploma in pharmacy;
- b) six members, of whom at least four shall be persons possessing a degree or diploma in, and practising pharmacy or pharmaceutical chemistry, nominated by the Central Government;
- c) one member elected from amongst themselves by the members of the Medical Council of India;
- d) the Director General, Health Services, ex officio or if he is unable to attend any meeting, a person authorized by him in writing to do so;
- dd) the Drugs Controller, India, ex officio or if he is unable to attend any meeting, a person authorised by him in writing to do so;
- e) the Director of the Central Drugs Laboratory, ex officio;
- f) a representative of the University Grants Commission and a representative of the All India Council for Technical Education;
- g) one member to represent each State elected from amongst themselves by the members of each State Council, who shall be a registered pharmacist;
- h) one member to represent each State nominated by the State Government, who shall be a registered pharmacist:

OBJECTIVES OF THE COUNCIL

The Council is responsible for -

- ◆ Prescribing minimum standards of education required for qualification as a pharmacist;
- ◆ Uniform implementation of educational standards;
- ◆ Approval of course of study and examination for pharmacists;
- ◆ Withdrawal of approval;
- ◆ Approval of qualifications granted outside India; and
- ◆ Maintenance of Central Register of pharmacists.

The Central Council constitutes an Executive Committee consisting of the President, the Vice President and five other members elected from amongst its members. In addition, the following other committees are also functioning in the Council:-

- a) PCI - Business Advisory Committee
- b) PCI - Promotion of Academic Research for Industrial Utility Committee
- c) PCI - Co-ordination Committee on –
 - a) State Pharmacy Councils
 - b) State Governments
- d) PCI - Committee on General Administration (Personnel and Training)
- e) PCI - Finance Committee
- f) PCI - Committee on Information and Communications Technology
- g) PCI - Law Committee
- h) PCI - National / International Conference Committee
- i) PCI - Professional Pharmacy and
- j) Public Relations Committee (PP&PRC)
- k) Women Empowerment Committee

The following are the office bearers and the officers of the Council during the year under report:-

1. Dr. Montukumar M Patel - President
2. Prof. (Dr). Pramod Yeole - Vice- President
3. Shri Anil Mittal – (I/C) Registrar-cum-Secretary

ACTIVITIES OF THE COUNCIL DURING 2022-2023

1. Inspections arranged

The Council arranged 3839 inspections of diploma, degree, Pharm.D., M.Pharm and B.Pharm (Practice) institutions during the period under report.

2. Meetings of the Council:-

A) Central Council Meeting held on:-

6th April, 2022

9th may 2022 and 10th may 2022

29th July, 2022 (5th online meting)

B) Executive Committee Meetings held on:

- 25th April, 2022 and 26th April, 2022
- 8th May, 2022
- 1st and 2nd June, 2022
- 11th June, 2022
- 16th June, 2022 (65th online)
- 25th and 26th June, 2022
- 30th June, 2022 (66th online)
- 3rd July, 2022(68th online)
- 4th July, 2022(69th online)
- 25th July, 2022(70th online)
- 8th August, 2022(71st online meeting)
- 12th August, 2022(72nd online meeting)
- 17th August, 2022(73rd online meeting)
- 22nd August, 2022 (74th st online meeting)
- 26th August, 2022) (75th online meeting)
- 14th September, 2022(76th online meeting)
- 3rd October, 2022(77th online meeting)
- 12th October , 2022(78th online meeting)
- 15th October, 2022(79th online meeting)
- 31st October, 2022 (80th Online)
- 11th November, 2022 (81th Online)
- 17th November, 2022 (82nd Online)
- 24th November, 2022 (83rd Online)
- 5th December, 2022 (84th Online)
- 9th December, 2022 (85th Online)
- 17th December, 2022 (86th Online)
- 26th December 2022 and 27th December, 2022
- 28th January, 2023
- 8th February, 2023 (87th Online)
- 17th February, 2023
- 5th March, 2023
- 21st March, 2023 (87th Online)

Outcome of the Meetings:-

- Approval of 505 Diploma and Degree institutions were extended u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948.
- 74 new Diploma and Degree institutions were granted approval u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948.
- 2 New Pharm.D institutions were granted approval for the conduct of course.
- No, New Pharm.D (Post Baccalaureate) institutions were granted approval/ extended approval u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948.

3. Present status of Approved Pharmacy Institutions upto in the country:-

Courses		Approved institutions	Admission capacity
Diploma in Pharmacy	in	3327	198550
Degree in Pharmacy	in	2417	176091

4. Continuing Education Programmes

- Continuing Education Programmes (CEPs) play an important role in the growth of the knowledge bank of the pharmacists. The PCI from its own resources is giving financial assistance of Rs.25,000/- per course subject to ceiling of 12 course per annum to the State Pharmacy Councils for the conduct of CEPs for pharmacists from December, 2014. The PCI also gives grants to the pharmacy institutions for conducting CEPs for pharmacy teachers upto Rs.3.00 lakhs per programme.

5. Scheme for Capacity Building Industrial Training (CBIT) Program for Pharmacy Teachers

-
- Pharmacy Council of India (PCI) & Indian Pharmaceutical Alliance (IPA) started the Scheme for Capacity Building Industrial Training (CBIT) Program for Pharmacy Teachers from approved institutes to be nominated in reputed Pharmaceutical Companies for a period of one month for updating their skills and knowledge in the latest advances that have taken place in Pharma Sector and particularly in the Pharmaceutical industry.
 - The PCI give the grants to the pharmacy teacher through the institutions, have a ceiling limit of Rs. 50,000.00 (Fifty Thousand only).

6. Implementation of Right to Information Act, 2005

- The Council has implementing the above Act in letter and spirit. The information sought is promptly given within the stipulated time.

7. Revised Budget Estimates

- The Revised Budget Estimate of the Council for the year 2022-2023 is Rs. 20078.40 lakhs.

8. PCI Website

- PCI website is updated on daily basis.

9. PCI's Executive committee and Central Council meetings.

- Various meetings of the PCI Executive Committee and Central Council has been conducted online.

10. Automation of PCI.

- The PCI has taken the following initiatives -
 1. Online submission of application by pharmacy institutions to PCI for consideration of approval u/s 12 of the Pharmacy Act for the purpose of registration as pharmacist.
 2. Online submission of affiliation fee and inspection fee.
 3. Inspections are arranged through software.
 4. Agenda for meetings is digitalized.
 5. The decisions to institutions are also conveyed online.
 6. Pharmacy faculty working in various pharmacy institutions is now registered on the PCI portal.
 7. PCI inspectors are required to register on PCI portal.
 8. The EC/CC meetings are now conducted online.
 9. Digitalization of old record is under process.

11. Approval Process

- Approval process under the Pharmacy Act is streamlined and transparent.
- Availability of faculty data with their qualification, experience, place of working etc. so as to restructure the Council's policy as per the need of the profession.

(Anil Mittal)
(I/C)Registrar-cum-Secretary

एफ.सं.3-1/2013-पीसीआई

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया

*(2022-2023 के दौरान परिषद की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट)
(1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023)*

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) फार्मेसी के पेशे और अभ्यास को विनियमित करने के लिए फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत गठित एक निकाय है। केंद्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, अर्थात्: -

- ए) छह सदस्य, जिनमें से प्रत्येक विषय, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्रांसी का कम से कम एक शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी भारतीय विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेज के शिक्षण कर्मचारियों में से चुना जाएगा, जो अनुदान देता है। फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा;
- बी) छह सदस्य, जिनमें से कम से कम चार केंद्र सरकार द्वारा नामित डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले और फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री का अभ्यास करने वाले व्यक्ति होंगे;
- सी) भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित एक सदस्य;
- डी) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पदेन या यदि वह किसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं, तो ऐसा करने के लिए उनके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति;
- डीडी) औषधि नियंत्रक, भारत, पदेन या यदि वह किसी भी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो ऐसा करने के लिए उसके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति;
- इ) केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निदेशक, पदेन;
- एफ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि;
- जी) आमोन से चुने गए प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य प्रत्येक राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा स्वयं जी.एस.टी., जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा;
- एच) राज्य सरकार द्वारा नामित प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा;

परिषद के उद्देश्य

परिषद इसके लिए जिम्मेदार है -

- ◆ फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;
- ◆ शैक्षिक मानकों का समान कार्यान्वयन;
- ◆ फार्मासिस्टों के लिए अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रम की स्वीकृति;
- ◆ अनुमोदन वापस लेना;
- ◆ भारत के बाहर दी गई योग्यताओं का अनुमोदन; और
- ◆ फार्मासिस्टों के केंद्रीय रजिस्टर का रखरखाव।

केंद्रीय परिषद एक कार्यकारी समिति का गठन करती है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके सदस्यों में से चुने गए पांच अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त परिषद में निम्नलिखित अन्य समितियां भी कार्य कर रही हैं:-

- ए) पीसीआई - व्यापार सलाहकार समिति
- बी) PCI - इंडस्ट्रियल यूटिलिटी कमेटी के लिए एकेडमिक रिसर्च को बढ़ावा देना
- ग) पीसीआई - समन्वय समिति -
 - क) राज्य फार्मसी परिषदें
 - बी) राज्य सरकारें
- डी) पीसीआई - सामान्य प्रशासन समिति (कार्मिक और प्रशिक्षण)
- इ) पीसीआई - वित्त समिति
- एफ) पीसीआई - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर समिति
- जी) पीसीआई - कानून समिति
- एच) PCI - राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समिति
- मैं) पीसीआई - व्यावसायिक फार्मसी और
- जे) जनसंपर्क समिति (पीपी और पीआरसी)
- क) महिला अधिकारिता समिति

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान परिषद् के पदाधिकारी एवं अधिकारी निम्नलिखित हैं:-

1. डॉ. मोटूकुमार एम पटेल - अध्यक्ष
2. प्रोफेसर डॉ। प्रमोद येओले- उपाध्यक्ष
3. श्री अनिल एमइत्तल - (I/C) रजिस्ट्रार-सह-सचिव

2022-2023 के दौरान परिषद की गतिविधियाँ

1. निरीक्षण की व्यवस्था की

परिषद ने प्रतिवेदन अवधि के दौरान डिप्लोमा, डिग्री, फार्मा.डी., एम.फार्मा और बी.फार्मा (अभ्यास) संस्थानों के 3839 निरीक्षणों की व्यवस्था की।

2. परिषद की बैठकें:-

A) केंद्रीय परिषद की बैठक आयोजित:-

6 अप्रैल, 2022

9 मई 2022 और 10 मई 2022

29 जुलाई, 2022 (5वीं ऑनलाइन मीटिंग)

बी) कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित की गईं:

- 25 अप्रैल, 2022 और 26 अप्रैल, 2022
- 8 मई, 2022
- 1 और 2 जून, 2022
- 11 जून, 2022
- 16 जून, 2022 (65वां ऑनलाइन)
- 25 और 26 जून, 2022
- 30 जून, 2022 (66वां ऑनलाइन)
- 3 जुलाई, 2022 (68वां ऑनलाइन)
- 4 जुलाई, 2022 (69वां ऑनलाइन)
- 25 जुलाई, 2022 (70वां ऑनलाइन)
- 8 अगस्त, 2022 (71वीं ऑनलाइन मीटिंग)
- 12 अगस्त, 2022 (72वीं ऑनलाइन मीटिंग)
- 17 अगस्त, 2022 (73वीं ऑनलाइन मीटिंग)
- 22 अगस्त, 2022 (74वीं ऑनलाइन बैठक)
- 26 अगस्त, 2022 (75वीं ऑनलाइन मीटिंग)
- 14 सितंबर, 2022 (76वीं ऑनलाइन मीटिंग)
- 3 अक्टूबर, 2022 (77वीं ऑनलाइन मीटिंग)
- 12 अक्टूबर, 2022 (78वीं ऑनलाइन मीटिंग)
- 15 अक्टूबर, 2022 (79वीं ऑनलाइन मीटिंग)
- 31 अक्टूबर, 2022 (80वां ऑनलाइन)
- 11 नवंबर, 2022 (81वां ऑनलाइन)

- 17 नवंबर, 2022 (82वां ऑनलाइन)
- 24 नवंबर, 2022 (83वां ऑनलाइन)
- 5 दिसंबर, 2022 (84वां ऑनलाइन)
- 9 दिसंबर, 2022 (85वां ऑनलाइन)
- 17 दिसंबर, 2022 (86वां ऑनलाइन)
- 26 दिसंबर 2022 और 27 दिसंबर, 2022
- 28 जनवरी, 2023
- 8 फरवरी, 2023 (87वां ऑनलाइन)
- 17 फरवरी, 2023
- 5 मार्च, 2023
- 21 मार्च, 2023 (87वां ऑनलाइन)

बैठकों का परिणाम:-

- अनुमोदनकर्ता 505 डिप्लोमा और डिग्री संस्थानों को फार्मैसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत बढ़ाया गया था।
- फार्मैसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत 74 नए डिप्लोमा और डिग्री संस्थानों को मंजूरी दी गई।
- 2 नए Pharm.D संस्थानों को पाठ्यक्रम के संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
- नहीं, नए Pharm.D (पोस्ट बैकलॉरीएट) संस्थानों को फार्मैसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत अनुमोदन/विस्तारित अनुमोदन प्रदान किया गया था।

3. देश में स्वीकृत फार्मैसी संस्थानों की वर्तमान स्थिति:-

पाठ्यक्रम	स्वीकृत संस्थान	प्रवेश क्षमता
फार्मैसी में डिप्लोमा	3327	198550
फार्मैसी में डिग्री	2417	176091

4. सतत शिक्षा कार्यक्रम

- सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) फार्मासिस्टों के ज्ञान बैंक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीसीआई अपने स्वयं के संसाधनों से दिसंबर, 2014 से फार्मासिस्टों के लिए सीईपी के संचालन के लिए राज्य फार्मैसी परिषदों को प्रति वर्ष 12 पाठ्यक्रम की सीमा के अधीन 25,000/- रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है। पीसीआई अनुदान भी देता है। फार्मैसी शिक्षकों के लिए प्रति कार्यक्रम 3.00 लाख रुपये तक सीईपी आयोजित करने के लिए फार्मैसी संस्थान।

5. फार्मसी शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण औद्योगिक प्रशिक्षण (सीबीआईटी) कार्यक्रम की योजना

- फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए) ने अपने कौशल को अद्यतन करने के लिए एक महीने की अवधि के लिए प्रतिष्ठित फार्मास्युटिकल कंपनियों में नामांकित होने के लिए अनुमोदित संस्थानों से फार्मसी शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण औद्योगिक प्रशिक्षण (सीबीआईटी) कार्यक्रम की योजना शुरू की। फार्मा क्षेत्र और विशेष रूप से फार्मास्युटिकल उद्योग में हुई नवीनतम प्रगति का ज्ञान।
- पीसीआई संस्थानों के माध्यम से फार्मसी शिक्षक को अनुदान देता है, रुपये की अधिकतम सीमा है। 50,000.00 (केवल पचास हजार)।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

- परिषद उपरोक्त अधिनियम को अक्षरशः लागू कर रही है। मांगी गई जानकारी निर्धारित समय के भीतर तुरंत दी जाती है।

7. संशोधित बजट अनुमान

- वर्ष 2022-2023 के लिए परिषद का संशोधित बजट अनुमान रुपये है। 20078.40 लाख।

8. पीसीआई वेबसाइट

- पीसीआई वेबसाइट को दैनिक आधार पर अपडेट किया जाता है।

9. पीसीआई की कार्यकारी समिति और केंद्रीय परिषद की बैठकें।

- पीसीआई की कार्यकारी समिति और केंद्रीय परिषद की विभिन्न बैठकें ऑनलाइन आयोजित की गई हैं।

10. पीसीआई का स्वचालन।

- पीसीआई ने निम्नलिखित पहल की हैं -
 1. विचारार्थ फार्मसी संस्थानों द्वारा पीसीआई को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से फार्मसी अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुमोदन।
 2. संबद्धता शुल्क और निरीक्षण शुल्क ऑनलाइन जमा करना।
 3. सॉफ्टवेयर के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है।
 4. बैठक के एजेंडे को डिजिटल किया गया है।
 5. संस्थानों को निर्णय भी ऑनलाइन बताए जाते हैं।

6. विभिन्न फार्मैसी संस्थानों में कार्यरत फार्मैसी फैकल्टी अब पंजीकृत है पीसीआई पोर्टल।
7. पीसीआई निरीक्षकों को पीसीआई पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
8. ईसी/सीसी बैठकें अब ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं।
9. पुराने रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

11। अनुमोदन प्रक्रिया

- फार्मैसी अधिनियम के तहत स्वीकृति प्रक्रिया सुव्यवस्थित और पारदर्शी है।
- उनकी योग्यता, अनुभव, काम करने के स्थान आदि के साथ फैकल्टी डेटा की उपलब्धता ताकि पेशे की आवश्यकता के अनुसार परिषद की नीति का पुनर्गठन किया जा सके।

(अनिल मित्तल)

(आई / सी) रजिस्ट्रार-सह-सचिव